

कार्यालय:-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर, जिला-जशपुर (छ0ग0)

टेलीफोन नम्बर - 07763-220105

ई.मेल:- dlsa.jashpur@gmail.com



// आदेश //

क्रमांक / 1426 / जि.वि.से.प्रा. / 2025

जशपुर, दिनांक- 06 / 10 / 2025

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक / 2822 / LADCS-23-05 / 2024 बिलासपुर दिनांक 25.09.2025 द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम जशपुर कार्यालय के लिए अतिरिक्त रूप से मानव संसाधन Supporting Staff कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistant/Clerk) के 02 रिक्त पद एवं कार्यालय भृत्य/मुंशी Office Peon (Munshi/Attendant) के 02 रिक्त पदों हेतु नीचे उल्लेखित चयनित अभ्यर्थियों की सूची अनुसार नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना, 2022 के तहत निम्नांकित उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम जशपुर हेतु स्टाफ - कार्यालय सहायक/क्लर्क के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची

S.No.	Name of the Candidate	Fathers Name
1	नरेश कुमार चौहान	श्री रामपुरिहा चौहान
2	भूमिका	श्री बिरेन्द्र कुमार साहू

लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम जशपुर हेतु स्टाफ - कार्यालय भृत्य (मुंशी/अटेन्डेंट) के पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची

S.No.	Name of the Candidate	Fathers Name
1	श्री चैतन्य दास वैरागी	श्री अमर दास वैरागी
2	दीपशिखा खलखो	श्री हीरानाथ खलखो

(कु0 सर्वेतावबधेल)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला-जशपुर (छ0ग0)
जिला-जशपुर (छ0ग0)

//नियुक्ति की शर्तें एवं दिशा-निर्देश//

1. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त Supporting Staff कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistant/Clerk) एवं कार्यालय भृत्य/मुंशी Office Peon (Munshi/Attendent) स्टाफ की पूर्णतया अनुबंधित संविदात्मक नियुक्ति माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदन दिनांक 24.09.2025 से 23.09.2026 तक की अवधि के लिये प्रथमतः 01 वर्ष के लिये होगी। जिनका कार्यकाल/कार्यवधि नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना 2022 के प्रावधानों के कंडिका-4 के प्रावधानुसार तथा नालसा से प्राप्त जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किया जावेगा।
2. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु अतिरिक्त रूप से नियुक्त Supporting Staff कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistant/Clerk) एवं कार्यालय भृत्य/मुंशी Office Peon (Munshi/Attendent) स्टाफ का मानदेय छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक/1730/LADCS/2023 बिलासपुर दिनांक 26.06.2023 के बिन्दु क्रमांक-03 में निर्धारित क्लास-ए, क्लास-बी एवं क्लास-सी तीनों में एक का चयन तीनों में जो इस जिले के लिये पूर्व में निर्धारित हुआ है। चयन के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जावे।
3. नियुक्त किये गये मानव संसाधन Supporting Staff कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistant/Clerk) एवं कार्यालय भृत्य/मुंशी Office Peon (Munshi/Attendent) से नालसा से प्राप्त संविदात्मक अनुबंध (**Contractual Engagement**) पत्र की शर्तों के आधार पर होगी।
4. "You will not be entitled to a regular government post, salary, or benefits, as the payment is based on honorarium or retainership, and not on a salary basis."
"आपको नियमित सरकारी पद या सरकारी वेतन, या सुविधाओं का अधिकार नहीं होगा क्योंकि भुगतान मानदेय या रिटेनरशीट के आधार पर है और वेतन के आधार पर नहीं"
5. उक्त नियुक्ति संविदात्मक अनुबंध पत्र नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना 2022 के प्रावधानों के कंडिका-4 के प्रावधान अनुसार होगी।
6. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा नालसा के पत्र क्रमांक एल/20/2019-नालसा दिनांक 24 अगस्त, 2022 के साथ संलग्न पूर्व में प्रेषित

दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, तथा उसी के अनुसार नियुक्त स्टाफ की सेवा भी समाप्त की जा सकेगी। साथ ही नालसा का पत्र क्रमांक एफ.एन.एल./20/2019-नालसा दिनांक 11.02.2023 एवं पत्र क्रमांक एफ.एन.एल./20/2019-नालसा दिनांक 14.02.2023 एवं लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन निर्धारित किये गये कार्यों को, नियुक्त किये गये स्टाफ कार्य सम्पादित करेंगे, यदि कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक/राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

7. Supporting Staff कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistant/Clerk) एवं कार्यालय भृत्य/मुंशी Office Peon (Munshi/Attendent) लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।
8. अतिरिक्त रूप से नियुक्त किये जाने वाले मानव संसाधन Supporting Staff कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistant/Clerk) एवं कार्यालय भृत्य/मुंशी Office Peon (Munshi/Attendent) को नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित योजना 2022 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
9. नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 के प्रावधानों के अधीन तथा संविदात्मक अनुबंध नियुक्ति हेतु मापदण्ड, नियम व शर्तें जो भी लागू करने हेतु आवश्यक होंगे, माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपने स्तर पर निर्धारित कर सकते हैं।
10. मानव संसाधन Supporting Staff कार्यालय सहायक/क्लर्क (Office Assistant/Clerk) एवं कार्यालय भृत्य/मुंशी Office Peon (Munshi/Attendent) पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक 14.10.2024 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा उनका चयन स्वतः निरस्त मानी जावेगी।


(कु0 श्वेता बघेल)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला-जशपुर (छ0ग0)

पृ.क्रमांक / 1427 / जिविसेप्रा. / 2025
प्रतिलिपि,

जशपुर, दिनांक 06.10.2025

01. नरेश कुमार चौहान पिता श्री रामपुरिहा चौहान, साकिन- एलआईजी ब्लॉक 8एफ बरबसपुर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी उरगा, जिला कोरबा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. भूमिका पिता श्री बिरेन्द्र कुमार साहू, साकिन- ग्राम गंगोरीपार, पोस्ट बासीन, तहसील गुरुर, जिला बालोद (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. श्री चैतन्य दास वैरागी पिता श्री अमर दास वैरागी, साकिन- बालाजी टोली हनुमान मंदिर के पास जशपुर नगर, जिला जशपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. दीपशिखा खलखो पिता श्री हीरानाथ खलखो, साकिन- रेलवे कॉलोनी अम्बिकापुर क्वाटर नंबर 22/1, जिला सरगुजा (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कु0 श्वेता बघेल)
साकिन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला जशपुर (छ0ग0)
जिला-जशपुर (छ0ग0)